



Neutral Citation No.- 2026:AHC:12216

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-2250 वर्ष 2025

मनोज कुमार भारतीय आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अनिल कुमार शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शुक्ला, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राम मोहित यादव को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2024 के मामले अपराध संख्या-75 से उत्पन्न 2024 के सत्र विचारण संख्या-1313 में धारा 498-ए, 302 भ०द०वि०, थाना-धूमनगंज, जिला: प्रयागराज के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक को केवल संदेह के आधार पर मामले में फंसाया गया है। उक्त तथ्य दिनांक 6.2.2024 को 15:59 बजे रोजनामचा संख्या 64 से पुष्ट होता है, जिसमें एक पड़ोसी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि मृतक गलती से छत से गिर गया था।



5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि उक्त रोज़नामचा में हत्या की मौत का मामला होने का कोई संकेत नहीं है, लेकिन बाद में मृतक व्यक्ति के बहनोई (साधु) द्वारा तीन दिनों से अधिक की देरी के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस प्रकार, आवेदक ज़मानत का हकदार है।

6. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 10.2.2024 से जेल में बंद है, इस प्रकार, कारावास की अवधि दो साल से थोड़ी कम है। निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आज तक एक भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है।

8. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 2.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, आज तक एक भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।

9. "जब तक दोषी साबित न हो जाए" का प्रसिद्ध सिद्धांत एक नियम के रूप में ज़मानत और अपवाद के रूप में कारावास की अवधारणा को जन्म देता है।

10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता है क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है जब तक कि अपराध एक उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी का भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, (2022) 10 एस.सी.सी. 51 में दोहराया गया है।

11. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आई.एन.एस.सी. 595 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून के बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत कि ज़मानत को सजा के रूप में नहीं रोका



जाना चाहिए, को भुलाया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालयों को इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए कि "जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।

12. अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी किसी भी असाधारण परिस्थिति को सामने नहीं ला सके जो आवेदक को जमानत से इनकार कर दे।

13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, प्राथमिकी की स्थापना में देरी और उक्त रोज़नामचा प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आज तक एक भी गवाह की जांच नहीं की गई है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम रूप से, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

14. आवेदक- मनोज कुमार भारतीय, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

15. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 19, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)